भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1450
जिसका उत्तर शुक्रवार, 10 फरवरी, 2023 को दिया जाना है

हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं में मामलों का निपटारा

1450 श्री कमलेश पासवान :
श्री रवि किशन :
श्री नारणभाई काछड़िया :
श्री रविन्द्र कुशवाहा :
श्री सुनील कुमार सिंह :
श्री एस.वेंकटेशन :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :
(क) क्या सरकार विभिन्न राज्यों के उच्च न्यायालयों में क्षेत्रीय भाषाओं के प्रयोग की अनुमति देने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) अंग्रेजी के साथ या उसके बिना हिन्दी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग करके मामलों के निपटान के लिए विभिन्न राज्यों से किस सीमा तक सहयोग मांगा जा रहा है;
(ग) क्या सरकार ने न्यायिक प्रणाली में न्यायालयों के उपयोग के लिए क्षेत्रीय भाषाओं का एक सामान्य विधिक शब्दकोश तैयार किया है;
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ङ) क्या सरकार का विचार लंबित मामलों की संख्या को कम करने के लिए उनकी शीघ्र सुनवाई के लिए देश में और अधिक वर्चुअल न्यायालय तैयार करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) से (घ) : भारत के संविधान का अनुच्छेद 348(1)(क) यह कथन करता है कि उच्चतम न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय में सभी कार्यवाहियां अंग्रेजी भाषा में होंगी । संविधान के अनुच्छेद 348 का खंड (2) यह कथन करता है कि खंड (1) के उपखंड (क) में किसी बात के होते हुए भी, किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से उस उच्च न्यायालय की कार्यवाहियों में, जिसका मुख्य स्थान उस राज्य में है, हिन्दी भाषा का या उस राज्य के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाली किसी अन्य भाषा का प्रयोग प्राधिकृत कर सकेगा ।

मंत्रिमंडल समिति के निर्णय, तारीख 21.05.1965 ने यह अनुबंधित किया है कि भारत के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति, उच्च न्यायालय में अंग्रेजी से भिन्न किसी भाषा के प्रयोग से संबंधित किसी प्रस्ताव पर प्राप्त की जाए ।

संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (2) के अधीन राजस्थान उच्च न्यायालय की कार्यवाहियों में हिंदी का प्रयोग 1950 में प्राधिकृत किया गया । मंत्रिमंडल समिति के ऊपर यथावर्णित निर्णय, तारीख

21.05.1965 के पश्चात्, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से उत्तर प्रदेश (1969), मध्य प्रदेश (1971) और बिहार (1972) उच्च न्यायालयों में हिंदी का प्रयोग प्राधिकृत किया गया ।

भारत सरकार को तमिलनाडु, गुजरात, छत्तीसगढ़, पश्चिमी बंगाल और कर्नाटक की सरकारों से क्रमश: मद्रास उच्च न्यायालय, गुजरात उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, कलकत्ता उच्च न्यायालय और कर्नाटक उच्च न्यायालय में तमिल, गुजराती, हिन्दी, बंगाली और कन्नड के प्रयोग को अनुज्ञात करने के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए थे । इन प्रस्तावों पर भारत के मुख्य न्यायमूर्ति की सलाह की वांछा की गई और यह सूचित किया गया कि उच्चतम न्यायालय के पूर्ण न्यायालय ने सम्यक् विचार-विमर्श के पश्चात्, प्रस्तावों को स्वीकार न करने का विनिश्चय किया ।

तमिलनाडु सरकार से एक अन्य अनुरोध के आधार पर, सरकार ने भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को इस संबंध में पूर्ववर्ती निर्णयों का पुनर्विलोकन करने का तथा भारत के उच्चतम न्यायालय की सहमति प्रेषित करने का अनुरोध किया । भारत के मुख्य न्यायमूर्ति ने सूचित किया कि पूर्ण न्यायालय ने, गहन विचार-विमर्श के पश्चात् प्रस्ताव को सहमति न देने का विनिश्चय किया तथा माननीय न्यायालय के पूर्ववर्ती विनिश्चयों को दोहराया ।

विधि और न्याय मंत्रालय के तत्वाधान में, भारतीय विधिज्ञ परिषद् ने भारत के पूर्व मुख्य न्यायमूर्ति माननीय न्यायमूर्ति एस.ए. बोबड़े की अध्यक्षता में "भारतीय भाषा समिति" का गठन किया है । समिति, विधिक सामग्री का क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद करने के प्रयोजन से सभी भारतीय भाषाओं से निकटता वाली एक सामान्य सार शब्दावली विकसित कर रही है ।

(ङ) : वर्चुअल न्यायालय, न्यायालय में पक्षकार या अधिवक्ता की उपस्थिति को हटाने तथा वर्चुअल प्लेटफार्म पर मामलों के न्यायनिर्णयन के लिए लक्षित, एक संकल्पना है । इस संकल्पना का सृजन न्यायालय के संसाधनों के प्रभावी उपयोजन तथा यातायात चालानों के निपटारे के लिए पक्षकारों को एक प्रभावी रास्ता प्रदान करने के लिए किया गया है । वर्चुअल न्यायालय, न्यायाधीश द्वारा वर्चुअल इलैक्ट्रॉनिक प्लेटफार्म पर प्रशासित किया जा सकता है, जिसकी अधिकारिता संपूर्ण राज्य तक हो सकेगी तथा वह 24 x 7 कार्यरत रहेगा । तारीख 01.12.2022 तक, 17 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों, अर्थात् दिल्ली (2), हरियाणा, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल (2), महाराष्ट्र (2), असम, छत्तीसगढ़, जम्मू-कश्मीर (2), उत्तर प्रदेश, ओड़िशा, मेघालय, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, पश्चिमी बंगाल और राजस्थान, में 21 ऐसे न्यायालय हैं । तारीख 02.01.2023 तक, 21 वर्चुअल न्यायालयों द्वारा 2.40 करोड़ से अधिक (2,40,28,319) मामले व्यवहारित किए गए हैं और 32 लाख से अधिक (32,62,303) मामलों में 347 करोड़ (347.86) रुपए से अधिक ऑन-लाइन जुर्माना वसूल किया गया है ।

तथापि, वर्चुअल न्यायालय की स्थापना एक प्रशासनिक मामला है, जो केवल न्यायपालिका और संबद्ध राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र और प्रभाव क्षेत्र के अधीन आता है ।

****